

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र०सं०...../श्री रतीश कुमार,
श्रम अधीक्षक, श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक,
उप श्रमायुक्त कार्यालय, बेगूसराय का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए प्रदान
किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र०सं०.....150...../पटना-01, दिनांक-13/3/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार
गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त
(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित
कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण
विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण
विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार भवन एवं
अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, बेगूसराय/
श्री रतीश कुमार, श्रम अधीक्षक, श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई/श्रम संसाधन एवं
प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों तथा
आई०टी०/प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
(विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव